Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में डिस्कॉम का स्टोर इंचार्ज (तकनीकी सहायक) 2 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *08 सितम्बर, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जैसलमेर इकाई द्वारा आज बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये ललित किशोर स्टोर इंचार्ज, तकनीकी सहायक (टेक्निकल हैल्पर) जीएसएस बायतु, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, बाड़मेर को परिवादी से **2 हजार 500 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विद्युत कनेक्शन के खराब ट्रासंफार्मर को बदलने की एवज में स्टोर इंचार्ज ललित किशोर तकनीकी सहायक (टेक्निकल हैल्पर) जीएसएस बायतु, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, बाड़मेर द्वारा **3 हजार रुपये** की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी जैसलमेर के **उप अधीक्षक पुलिस श्री संग्राम सिंह भाटी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज बाड़मेर में मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये ललित किशोर पुत्र श्री अर्जुनराम निवासी बायतु भोपजी, पुलिस थाना बायतु, जिला बाड़मेर हाल स्टोर इंजार्ज, तकनीकी सहायक (टेक्निकल हैल्पर) जीएसएस बायतु, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, बाड़मेर को परिवादी से **2 हजार 500 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।